



३९१

पुस्तक- 2288704  
2288710

नव चेतना गांव, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : २१९६ /०५/७६/एफ/२०१५-१६  
सेवा में

दिनांक : २५ अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभियान  
जनपद-सुल्तानपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सुडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में स्थीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक ऑफ बॉर्डों	05690100007779	IFSC Code BARBOSULTAN	₹ 19.282
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	दस्ती/पार्ड का नाम	द्वितीय किला की धनराशि का प्रेषण
1	सुल्तानपुर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०पा०४० सुल्तानपुर	झरहाँ (हनीफ नगर) मेर रेस्टोरेंट के घर कान से परवजे आहमद के मकान तक, मो० शाहिद के मकान से रेस्टोरेंट आहमद के मकान तक, शकातउल्ला के मकान से मो० आदिल के मकान तक, अरसी के मकान से इमरान के मकान तक, मेराज आहमद के मकान से बबू के मकान तक एवं नीमान के घर से मीलाना आहमद के घर तक इण्टरलाकिंग सङ्करण कार्य।	9.869
2	सुल्तानपुर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०पा०४० सुल्तानपुर	बस्ती राईनगर दरियापुर मेर मो० शोएब के मकान से लिफाहत अली व (नन्हे अली) के मकान तक, गढीना गरिजद गेट से कविरत्नान गेट तक, रमेश चौरसिया के मकान से समीउल्ला के मकान तक, सुरज लाल के घर से खुर्शीद के घर तक, खुर्शीद के घर से शमीम के घर तक एवं इनामुल्ला के मकान से नूरुल अमीन के घर तक इण्टरलाकिंग सङ्करण कार्य।	9.413
	योग				19.282

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत टी०पी०आ०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

- १— च०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शाटी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत टी०पी०आ०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- २— रथानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना राम्भित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से सम्बन्ध रखायित कर और रुद्धना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- ३— प्रश्नगत परियोजना में प्रत्यावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम रतार से तकनीकी स्थीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।



३०१/२

ट्रॉली - 2200709

2200710

नव बेताना केंद्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-220001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 4 अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य इन्हीं अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5 स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय निधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत धरि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित फ़िर्या जाये।
- 6 प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7 परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें रामबधित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में रामबधित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों ने तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8 योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अधिक के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को गही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9 उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्धों के अनुसार निहित गद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कराये। इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10 प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों वी रक्तों पर कटीती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11 अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहार अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त औंकेत कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरापुत्रि हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12 शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगमन वे सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर रोप धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वीधिक प्रगति तहिं निर्धारित प्रक्रम पर रूपना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तादेव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को रूपनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रामबधित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा
- कम्प्यूटर सोल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक